सत्यमेव जयते
राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– शिवराज मीणा, आर.ए.एस. (उपखण्ड अधिकारी)

वाद संख्या:– 57 / प्रा0पत्र / 2025 दायरा दिनांक :–12.03.2025

1 अम्बालाल पिता सुखदेव जाति गुर्जर निवासी अकलोर तहसील हिण्डोली जिला बून्दी राज0

प्रार्थी

बनाम

1. जगन्नाथी पत्नी स्व0 सुखदेव जाति गुर्जर निवासी अकलोर
2. दल्ली पुत्री सुखदेव जाति गुर्जर निवासी अकलोर
3. प्रधान पुत्र सुखदेव जाति गुर्जर निवासी अकलोर
4. मनभरी पुत्री सुखदेव जाति गुर्जर निवासी अकलोर
5. रमेश पुत्र सुखदेव जाति गुर्जर निवासी अकलोर तहसील हिण्डोली जिला बून्दी राज0
6. राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार साहब हिण्डोली जिला बून्दी राज0

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र :– राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956
की धारा 136 के तहत वास्ते इंद्राज दुरस्ती।

वकील प्रार्थी :– श्री महेश नामा
वकील अप्रार्थी :– श्री चन्द्रप्रकाश जैन

निर्णय दिनांक :– 22 / 08 / 2025

उपरोक्त विषय में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र इस प्रकार है कि भूमि खाता संख्या 113 ख.स. 686 / 468 कुल किता 1 कुल रकबा 0.3237 हैक्टयेर व खाता संख्या 112 ख.स. 467, 555, 560, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 585, 597 कुल किता 11 कुल रकबा 3.9985 हैक्टेयर व खाता संख्या 111 ख.स. 516 कुल किता 1 कुल रकबा 0.7932 हैक्टेयर व खाता संख्या 110 ख.स. 130, 140, 141, 142, 143, 144, 146, 147, 153, 154, 157, 158, 159, 162, 163, 37, 38, 49, कुल किता 18 कुल रकबा 2.6710 हैक्टेयर व खाता संख्या 109 ख.स. 145 कुल किता 1 कुल रकबा 0.1781 हैक्टेयर वाके ग्राम अकलोर पटवार हल्का चतरगंज तहसील हिण्डोली जिला बून्दी राज0 मे स्थित है। प्रार्थना पत्र की चरण सख्या 1 में वर्णित जमाबन्दी में प्रार्थी का नाम अभयलाल पुत्र सुखदेव दर्ज किया हुआ है उक्त इन्द्राज गलत एवं अशुद्ध है जबकि प्रार्थी का नाम अम्बालाल गुर्जर पिता सुखदेव गुर्जर है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमियों मे प्रार्थी का नाम अभयलाल पुत्र सुखदेव के नाम नामान्तरण खोला गया है जिसमे प्रार्थी का नाम अभय लाल पिता सुखदेव दर्ज कर दिया है उक्त इन्द्राज गलत व अशुद्ध है

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

जबकि प्रार्थी का नाम सभी सरकारी दस्तावेज मे प्रार्थी का नाम अम्बालाल गुर्जर पिता सुखदेव गुर्जर अंकित हो रहा है। प्रार्थी का नाम राजस्व रिकोर्ड में गलत दर्ज कर दिये जाने से एवं प्रार्थी के सभी सरकारी दस्तावेजात में प्रार्थी का नाम अम्बालाल गुर्जर पिता सुखदेव गुर्जर अंकित होने से प्रार्थी उक्त भूमियो पर बैंक से ऋण वगेरा व सहकारी योजनाओ का लाभ नहीं उठा पा रहा है। प्रार्थी ने पटवारी हल्का से राजस्व रिकोर्ड में दर्ज गलत इन्द्राज अभयलाल पुत्र सुखदेव के अंकन को विलोपित कर अम्बालाल गुर्जर पिता सुखदेव गुर्जर दर्ज करने का अनुरोध किया तो पटवारी हल्का ने तहसीलदार साहब के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने हेतु कहां और प्रार्थी ने तहसीलदार साहब हिण्डोली व राजस्व लोक अदालत केम्प चतरगंज में भी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया लेकिन प्रार्थी का नाम दुरूस्त नही किया गया है और अन्तिम बार राजस्व केम्प तहसील कार्यालय मे लगा तो उक्त गलत इन्द्राज को दुरूस्त करने से मना कर दिया इस कारण प्रर्थी श्रीमान के समक्ष इन्द्राज दुरूस्ती बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करता है। उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत का कारण दिनांक 20.02.2025 को उत्पन्न हुआ। प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि ग्राम अकलोर पटवार हल्का चतरगंज तहसील हिण्डोली जिला बून्दी में विस्थत होने एवं लेण्ड रिकार्ड ऑफीसर की हैसियत से श्रीमान को उक्त प्रार्थना पत्र का श्रवणाधिकार प्राप्त हैं प्रार्थना पत्र निर्धारित न्याय शुल्क पर प्रस्तुत है। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर जमाबन्दी खाता संख्या 113 ख.स. 686/468 कुल किता 1 कुल रकबा 0.3237 हैक्टयेर व खाता संख्या 112 ख.स. 467, 555, 560, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 585, 597 कुल किता 11 रकबा 3.9985 हैक्टेयर व खाता संख्या 111 ख.स. 516 कुल किता 1 कुल रकबा 0.7932 हैक्टेयर व खाता संख्या 110 ख.स. 130, 140, 141, 142, 143, 144, 146, 147, 153, 154, 157, 158, 159, 162, 163, 37, 38, 49, कुल किता 18 कुल रकबा 2. 6710 हैक्टेयर व खाता संख्या 109 ख.स. 145 कुल किता 1 कुल रकबा 0.1781 हैक्टेयर वाके ग्राम अकलोर पटवार हल्का चतरगंज तहसील हिण्डोली जिला बून्दी राज0 में दर्ज मुस्मात अभय लाल पिता सुखदेव के अंकन को दुरस्त कर उक्त के स्थान पर अम्बालाल गुर्जर पिता सुखदेव गुर्जर दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जर्ये नोटिस तलब किया गया।

अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 5 की ओर से जवाब पेश कर कथन किया कि प्रार्थना पत्र में अंकित चरणों को स्वीकार करते हुए प्रार्थी का नाम अभयलाल पिता सुखदेव के स्थान पर अम्बालाल पिता सुखदेव दर्ज करने में कोई आपत्ति नहीं होना व पूर्ण सहमति होना अंकित किया है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 6 पेरोकार सरकार की ओर से तहसीलदार हिण्डोली के पत्रांक :– राजस्व / 25 / 2023 दिनांक :–30.06.2025 से प्राप्त जॉच रिपोर्ट अनुसार मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड ग्राम अकलोर के खाता संख्या 109, 110, 111, 112, 113 में सहखातेदार प्रार्थी का नाम अभयलाल पुत्र सुखदेव दर्ज रिकॉर्ड है। मजमा–ए–आम में प्राप्त जानकारी व ग्रामवासियो / सहखातेदारों ने उक्त खाता नम्बर में दर्ज अभयलाल पुत्र सुखदेव व अम्बालाल पुत्र सुखदेव एक ही व्यक्ति के नाम होने से रिकॉर्ड में दर्ज अभयलाल पुत्र सुखदेव के स्थान पर प्रार्थी का सही नाम अम्बालाल पुत्र सुखदेव दर्ज किए जाने में कोई आपत्ति नहीं हैं। प्रार्थी का उक्त नाम विरासत के इंतकाल से दर्ज हुआ है।

हमने प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थी की बहस सुनी। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी का सही नाम अम्बालाल पुत्र सुखदेव है जिसे मुताबिक प्रार्थना पत्र के दुरूस्त किए जाने का कथन किया गया।

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 में वर्णित है कि "भूमि अभिलेख अधिकारी भी समय, किसी लिपिकीय गलती या ऐसी गलतियों को विहित रीति से शुद्ध कर सकेगा या उन्हे शुद्ध करवा सकेगा जिनका अधिकार अभिलेख या रजिस्टर में कर दिया जाना हितबद्ध पक्षकार स्वीकार करें या जिन्हे कोई राजस्व अधिकारी किसी भी रजिस्टर में अपने निरीक्षण के दौरान नोटिस करें। कोई भी ऐसी गलती तब तक शुद्ध नहीं की जायेगी। जब तक कि पक्षकारों को सुनवाई हेतु नोटिस नहीं किया गया हो, ऐसे प्रावधान दिए हुए है।"

वकील प्रार्थी द्वारा अपनी बहस के दौरान प्रस्तुत तर्को एवं जबाव अप्रार्थीगण व पेरोकार सरकार एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन कर ध्यानपूर्वक मनन किया गया। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आधार कार्ड, जन–आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, कक्षा 8 वर्ष 2006–07 नामांक–1541 की अंकतालिका भारत निर्वाचन आयोग पहचान पत्र, परिवार राशन कार्ड, ड्राईविंग लाईसेंस पेश किए है जिसमें प्रार्थी का नाम अम्बालाल पुत्र सुखदेव दर्ज है। प्रकरण में जबाव अप्रार्थीगण व पेरोकार सरकार द्वारा भी प्रार्थी द्वारा चाहा गया अनुतोष दिया जाना उचित बताया है। प्रकरण में उपरोक्त तथ्यों से प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत स्वीकार किये जाने योग्य है।

–: क्रियात्मक आदेश :–

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर भूमि वाके ग्राम अकलोर पटवार मण्डल चतरगंज के खाता संख्या 109, 110, 111, 112, 113 में दर्ज अभयलाल पुत्र सुखदेव के स्थान पर प्रार्थी का सही नाम अम्बालाल पुत्र सुखदेव शुद्ध दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

हिण्डोली को तहरीर जारी की जावे। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक :– 22.08.2025 को सरे इजलास खुलेआम सुनाया गया।

(शिवराज मीणा)
आर0ए0एस
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज.)